कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, डी-35, सेक्टर-53, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**020 / 11, 22.03.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, डी-35, सेक्टर-53, नोएडा द्वारा दिनांक 22.03.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी Natural Gas तथा CNG के क्रय-विक्रय का व्यापार करते हैं तथा प्रान्त बाहर तथा प्रान्त अन्दर से क्रय करके उसकी बिक्री की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के तहत '' विशेष आर्थिक जोन '' में स्थापित ' विकासकर्ता ' तथा ' सह विकासकर्ता ' इकाइयों को Natural Gas की बिक्री करने पर प्रार्थी को ऐसे Natural Gas के खरीद पर प्रवेश कर से मुक्ति मिलेगी अथवा नहीं ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 05.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, नोएडा द्वारा पत्र संख्या-28, दिनांक 26.04.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, डी-35, सेक्टर-53, नोएडा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है। इनके द्वारा नेचुरल गैस तथा कम्प्रैशड नेचुरल गैस (CNG) का व्यापार किया जाता है। व्यापारी द्वारा नेचुरल गैस की खरीद प्रान्त में सर्वश्री गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि0 (गेल) नोएडा से तथा प्रान्त बाहर से सर्वश्री भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 से की जाती है। जो कि गेल की पाइप लाइन से आयात की जाती है। नेचुरल गैस से कम्प्रैशड नेचुरल गैस (CNG) का निर्माण कर बिक्री की जाती है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7सी के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2027/XI-9(15)/08-यू0पी0एक्ट-5-2008-आर्डर-(26)-2008, दिनांक 30 जून, 2008 जारी की गयी है। जिसके अनुसार विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहॉ पर स्थापित इकाइयों को कमिश्नर, वाणिज्य कर, द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र (फार्म-डी) प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत '' आपरेसन्स '' हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर करमुक्ति प्रदान की गयी है। कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा इस हेतु परिपत्र दिनांक 03.07.2008 द्वारा फार्म-डी निर्धारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-7 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1585/XI-9(820)/92-यू0पी0एक्ट-30-2007-आर्डर-(50)-2009, दिनांक 07.10.2009 (प्रभावी

.....2

दिनांक 07.09.2010) जारी की गयी है। जिसके अनुसार विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहॉ पर स्थापित इकाइयों को विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आपरेसन्स हेतु स्थानीय क्षेत्र में, उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से माल के प्रवेश पर कर के संदाय से छूट प्रदान की गयी है।

सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, डी-35, सेक्टर-53, नोएडा द्वारा विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों, विकासकर्ता, सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आपरेसन्स हेतु विज्ञप्ति संख्या-2027, दिनांक 30.06.2008 की शर्तों के अनुसार नेचुरल गैस की बिक्री, फार्म-डी के विरूद्ध करमुक्त है परन्तु ऐसे संव्यवहारों पर (माल के मूल्य पर) प्रवेश कर की देयता है। जो वर्तमान में 5% है। विज्ञप्ति संख्या-1586, दिनांक 07.10.2009 का लाभ विक्रेता व्यापारी सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 को देय नहीं है बल्कि विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाइयों, विकासकर्ता, सह विकासकर्ता को उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र के अन्दर प्रवेश कर देय वस्तु (नेचुरल गैस) लाये जाने पर माल के मूल्य पर प्रवेश कर से छूट अनुमन्य है।

उपरोक्त व्यापारी सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, डी-35, सेक्टर-53, नोएडा द्वारा उपरोक्त बिक्री से सम्बन्धित संव्यवहारों / माल के मूल्य पर प्रवेश कर जमा किया जा रहा है तथा विधिक स्थिति के अनुसार उनका प्रवेश कर का दायित्व है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी फर्म सर्वश्री इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, डी-35, सेक्टर-53, नोएडा द्वारा नेचुरल गैस से सम्बन्धित संव्यवहारों / मूल्य पर प्रवेश कर स्वीकार तथा जमा किया जा रहा है। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रवेश कर जमा करते हुए रिटर्न भी जमा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 में प्राविधान है कि ऐसे मामलों में जिसमें कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही विचाराधीन हो, से भिन्न मामलों में प्रश्न पूछ कर उत्तर की अपेक्षा की जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्रीकर, उ0प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद कमिश्नर धारा-35 के अन्तर्गत प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नकर्ता प्रार्थी नियमित रूप से मासिक रिटर्न तथा प्रवेश कर जमा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

....3

निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के सम्बन्ध में पारित निर्णय कमिश्नर बिक्रीकर, उ0 प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के आलोक में मासिक रिटर्न तथा प्रवेश कर जमा करने के कारण कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है । अत: धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 13 जून, 2014

ह0 / 13.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।